न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 12/2019

दिलीप सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
–प्रतिवादी

वाद :– घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी– श्री सम्पतसिंह शेखावत
वकील प्रति0 – राज परौकार ना.तह.

निर्णय

निर्णय दिनांक 05.09.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बागोरिया की ढाणी की सरहद में नई खाता सं0 423 के अन्तर्गत भूमि ख.न. 1758 रकबा 1.83 है0 स्थित है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी की पैत्रिक भूमि है जिस पर वादी अपने हिस्से अनुसार काबिज व आबाद है और हिस्से अनुसार ही अपनी भूमि को काश्त करते हैं। हिस्से व कब्जे काश्त का कोई विवाद नही है। वादी के पिता सुगनसिंह का देहान्त हुआ तब उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण वादी व वादी के भाईयों के नाम दर्ज हुआ तब उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी का नाम लिपिकीय भूलवश दिलीपसिंह की जगह दीपसिंह दर्ज हो गया जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम दिलीपसिंह दर्ज है तथा वादी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, भामाशह कार्ड, पंचायत से जारी वारिस प्रमाण पत्र आदि में दिपसिंह पुत्र सुगनसिंह दर्ज है जो गलत दर्ज है, जो परिवार वालों की गलती व लिपिकीय भूलवश दर्ज हो गया था जिसका वादी को कोई ज्ञान नही था। इसलिये राजस्व रिकार्ड में भी दीपसिंह के स्थान पर दिलीपसिंह पुत्र सुगनसिंह दर्ज किया जाना न्यायोचित है और इसी नाम की परिविष्टभ की जाकर शुद्धि की जावे। कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम दर्ज होने से कई प्रकार की असुविधा हो रही है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम अन्य रिकार्ड से मेल नही खाता है जबकि उकत गलती लिपिकीय भूलवश की गलती है।

अतः वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बागोरिया की ढाणी के नये खाता सं0 423 के भूमि ख.न. 1758 रकबा 1.83 है0 के राजस्व रिकार्ड में दीपसिंह पुत्र सुगनसिह की जगह वादी का वास्तविक व सही नाम दिलीप सिंह पुत्र सुगनसिंह दर्ज किया जावे, इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राजकीय पैरोकार ने उपस्थित होकर आदेशिका में सहखातेदार सहमत होतो शुद्धि किया जाना उचित होना अंकित किया गया। अतः बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम बागोरिया की ढाणी संवत 2075–78 के अनुसार भूमि ख.न. 1758 रकबा 1.83 है0 की खातेदारी में दीपसिंह पुत्र सुगनसिंह हि0 80/183 जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वाद के सलग्न प्रस्तुत फोटो प्रति ग्राम पंचायत चिराना से जारी वारिस प्रमाण पत्र में दिलीपसिंह उर्फ दीसिंह पुत्र सुगनसिंह दर्ज किया गया है। फौटो प्रति आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, तथा पासबुक बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिराना की पास बुक आदि में वादी का नाम दिलीपसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत दर्ज किया गया है। अतः मुताबिक दस्तावेजात वादी का सही नाम दिलीपसिंह पुत्र सुगनसिंह होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बागोरिया की ढाणी की भूमि खाता सं0 423 के ख.न. 1758 रकबा 1.83 है0 में वादी का नाम दीपसिंह पुत्र सुगनसिंह के स्थान पर दिलीपसिंह पुत्र सुगनसिंह नाम दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

के मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5-9-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
नवलगढ

Scanned by CamScanner